न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

		निर्णय दिनांक : 15.11.18
वाद संख्या 188/2017	धारा अन्तर्गत 53,188 RTA	
समक्ष श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी – श्री ललितकुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी – आर पी गोयल	

वाद शीर्षक
उनवान

केदारीबाई पुत्री रूघनाथ जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. बंजरगलाल पुत्र रामनाथ
2. तुलसाबाई पुत्री रामनाथ
3. बरफाबाई पुत्री रामनाथ
4. गायत्रीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड निवासीगण सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
5. हरिबल्लभ वर्ष बद्रीलाल
6. पानाचन्द पुत्र बद्रीलाल
7. चन्द्रकला पुत्री बद्रीलाल
8. दोपतीबाई पुत्री बद्रीलाल
9. ग्यारसीबाई बेवा बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
10. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल तह. छीपाबडौद
11. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज
12. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना अधिकारी झालावाड।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 591/278 रकबा 06 बीघा मे वादीया का 1/3 हिस्सा बजानिब पूर्व दिशा का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को निर्देशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.11.18 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1	वद पत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 188/17	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनांक 25-6-19
समक्ष श्री रामावतार मीना RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति अभिभाषक वादी Sh L.K.S.		अभिभाषक प्रतिवादी Sh R.P.S.

वाद शीर्षक

केदारीबाई पुत्री रूपनाथ जाति धाकड़ निवासी कुकड़ेरी तह० छीपाबड़ौद

बनाम

1- बजरंगलाल पुत्र रामनाथ 2- उल्लासबाई पुत्री रामनाथ 3- बलकाबाई
4- गायत्री बाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड़ निवासी कुकड़ेरी तह० छीपाबड़ौद
5- हरिवल्लभ 6- पानाचन्द पुत्र बद्रीलाल 7- चन्द्रकला 8 द्रोपतीबाई
पुत्रियां 9- ज्ञानतीबाई बेवा बद्रीलाल जाति धाकड़ नि० कुकड़ेरी छीपाबड़ौद
10- शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक नाहरगढ़ तह० छीपाबड़ौद
11- राज० सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
12- भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना अधिकारी झालावाड़

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

नाम खातेदार		ख०नं०	रकबा	हिस्सा
1-	केदारी पुत्री रूपनाथ जाति धाकड़ निवासी कुकड़ेरी	कि० 591/278	2.00	1.50 पूर्व
2-	बजरंगलाल पुत्र रामनाथ उल्लासबाई बलकाबाई गायत्रीबाई पुत्रियां रामनाथ हि० 1/2 हरिवल्लभ, पानाचन्द पुत्र बद्रीलाल चन्द्रकला, द्रोपती पुत्रियां बद्रीलाल ज्ञानतीबाई बेवा बद्रीलाल हि० 1/2 जाति धाकड़ नि० देह, रहन HKGB शाखा नाहरगढ़ हि० रकबा	591/278	4.00	3.00

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी खातेदारी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार..................रु० का व्यायानुतोष..................द्वारा..................को प्रदान किया जाए

आज आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25-6-19 को निर्गत किया गया।

उपजिला मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner

निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 188 / 2017 दावा
दायरा दिनांक :— 29.08.2017
निर्णय दिनांक :— 15-11-18

उनवान

केदारीबाई पुत्री रुघनाथ जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान

बनाम

1. बंजरगलाल पुत्र रामनाथ
2. तुलसाबाई पुत्री रामनाथ
3. बरफाबाई पुत्री रामनाथ
4. गायत्रीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड निवासीगण सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
5. हरिवल्लभ वर्ष बद्रीलाल
6. पानाचन्द पुत्र बद्रीलाल
7. चन्द्रकला पुत्री बद्रीलाल
8. द्रोपतीबाई पुत्री बद्रीलाल
9. ग्यारसीबाई बेवा बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज
10. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल तह छीपाबडौद
11. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज
12. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना अधिकारी झालावाड।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :— 15-11-18

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नबर 591 / 278 रकबा 6 बीघा वाके बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है. जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 176 सम्वत 2071 ता 74 से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के शामलाती खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी है, जिसमे मुताबिक जमाबंदी प्रार्थीया का 1 / 3 हिस्सा दर्ज है, जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादपत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीया का अपने पिता के जीवनकाल से बजानिब पूर्व दिशा की दो बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो वर्तमान मे भी इसी कदर चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी नम्बर 1 ता 9 प्रार्थीया से काश्त व लगान के सम्बन्ध मे लडाई झगडा करते है, तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से की पूरी भूमि को काश्त नही करने देते है, तथा प्रार्थीया द्वारा बोई गयी फसलो को नुकसान पहुचाते है, इस पर प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजीयात पर कब्जे के अनुसार खाता विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीया ने दिनांक 22.08.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 से प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात का कब्जे के अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थी सख्या 1 ता 9 खाता विभाजन करने से इन्कार हो गये तथा अप्रार्थी सख्या 1 ता 9 ने प्रार्थीया को धमकी दी है, कि वह प्रार्थीया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करेगे तथा अपना कब्जा जमावेगे। प्रार्थीया ने उसी दिन श्रीमान तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद से खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो उन्होने भी सभी सहखातेदारान ने सहमति न होने से खाता विभाजन करने से इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय मे वाद करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है।

विवादित आराजीयात का परवन वृहत सिचाई परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण होना है, अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 अधिग्रहण होने की अवस्था मे प्रार्थीया को उसके हिस्से की मुआवजा राशि देने मे व्यवधान उत्पन्न करने के लिये आमादा है, इससे प्रार्थीया अपने हिस्से मुआवजा राशि अलग से प्राप्त करने की अधिकारी है।अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 द्वारा प्रार्थीया को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीया का अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगे। इसलिये प्रार्थीया के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हासिल करना नितान्त आवश्यक हो गया है।वाद प्रस्तुति का कारण दिनांक 22.08.2017 को प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 व 11 से कब्जे से खाता विभाजन कहने पर उनके द्वारा मना करने पर तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 द्वारा प्रार्थीया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा की विशेष आपत्ति मे बताया कि विवादित आराजी का पक्षकारान् के मध्य तकास्मा नही हुआ है, तथा वादनी का पूर्व दिशा की आराजी पर कब्जा भी नही है, फिर भी यदि वादनी उक्त आराजी मे हिस्सा पूर्व दिशा का लेना चाहाती है, तो ले, लेवे। वादनी का वाद स्वीकार फरमाया जावे, तो प्रतिवादीगण को किसी किस्म की कोई आपत्ति नही है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 176 , नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बिलेण्डी सम्वत् 2071–74 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी के खसरा नंबर 591/278 रकबा 6 बीघा मे वादीया का हिस्सा 1/3 दर्ज है, जिस पर वादीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया का विवादित आराजी मे पूर्व दिशा की ओर कब्जा काश्त है। अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी का विभाजन कराना चाहती है, तथा नक्शा लटठे मे तरमीम कराना चाहाती है। वादीया का वाद स्वीकार किया जावे, एवं वादीया का हिस्सा 1/3 व बजानिब पूर्व दिशा का कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है, कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया है, कि वादीया का 1/3 हिस्सा बजानिब पूर्व दिशा का पृथक कर अलग खाते दर्ज कर दिया जावे, तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बडाय सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 176 के अनुसार वादीया केदारी बाई का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 9 का हिस्सा 1/3 दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण को वादी का 1/3 हिस्सा बजानिव पूर्व दिशा का पृथक–पृथक विभाजन करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। इससे यह साबित होता है, कि वादीया का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, एवं वादीया हिस्से एव कब्जे अनुसार अपना खाता अलग करवाने की अधिकारी है। वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 591/278 रकबा 06 बीघा मे वादीया का 1/3 हिस्सा बजानिव पूर्व दिशा का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को निर्देशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकार छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 188 / 2017	धारा अन्तर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनाक : 15-11-18
समक्ष श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी– श्री ललितकुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी– आर पी गोयल	

वाद शीर्षक

उनवान

केदारीबाई पुत्री रूघनाथ जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. बंजरगलाल पुत्र रामनाथ
2. तुलसाबाई पुत्री रामनाथ
3. बरफाबाई पुत्री रामनाथ
4. गायत्रीबाई पुत्री रामनाथ जाति धाकड निवासीगण सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
5. हरिवल्लभ वर्ष बद्रीलाल
6. पानाचन्द पुत्र बद्रीलाल
7. चन्द्रकला पुत्री बद्रीलाल
8. द्रोपतीबाई पुत्री बद्रीलाल
9. ग्यारसीबाई वेवा बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
10. शाखा प्रवन्धक हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल तह. छीपाबडौद
11. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
12. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना अधिकारी झालावाड।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबडौद के खसरा नंवर 591 / 278 रकबा 06 बीघा मे वादीया का 1 / 3 हिस्सा बजानिव पूर्व दिशा का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को निर्देशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनाक 15.11.18 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.स.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वद पत्र / लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( )		
10	योग		

Scanned by CamScanner

20.5.19	आज ... ... पर ... ... नियत है दिनांक 20.6.19 ... ... हो। हस्ताक्षर पीठासीन उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)
20.6.19	आज ... ... पर ... हेतु प्रस्ताव पर ... ... नियत है दिनांक 25.6.19 ... हो। हस्ताक्षर पीठासीन उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)
25.6.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील डिग्रीदार सन्तुष्ट है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न काश्तकारों का पत्रकारान के मद्दे पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:—

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान	
1 केदार पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी दुबकेरी	कि 591/278	2.00	1.50	पूर्व
2. बजरंगलाल पुत्र रामनाथ, तुलसा बाई, बल्लोबाई, नाथजीबाई पुत्रियान रामनाथ हि. 1/2, हरिवल्लभ मानाराम पुत्र बद्रीलाल, चन्द्रकला द्रोपदी पुत्रियान बद्रीलाल, ग्यारसी बाई बेवा बद्रीलाल हि. 1/2 जाति धाकड नि. दुबकेरी रहन:- HKGB शाखा नाहरगढ़ हि. रामनाथ)	591/278	4.00	3.00	
	कि. 1	4.00	3.00	

उपरोक्तानुसार निम्नलिखित काश्तकारों के नाम विभेदी का पत्रकारान के मद्दे पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुसार आदेश डिग्री पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.08.13 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: